ICSSR Sponsored
ISSN: 2319-9997

Journal of Nehru Gram Bharati University, 2025; Vol. 14 (I):87-89

भारत में न्यायिक प्रक्रिया का विकास और न्यायिक मिसाल का सिद्धांत

विकास मिश्रा एवं पुष्पांजलि पाल

सामाजिक कार्य विभाग

नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), प्रयागराज (उ.प्र.)

Email: uppcsvk@gmail.com

Received: 06.10.2024 Revised:02.03.2025 Accepted: 12.03.2025

सार

भारत में न्यायिक प्रक्रिया न्याय, समानता और निष्पक्षता के सिद्धान्तों को मूर्त रूप देने वाली कानूनी प्रणाली की आधारशिला है। इस प्रक्रिया के केन्द्र में न्यायिक मिसाल का सिद्धान्त है, जो कानून की व्याख्या और अनुप्रयोग में स्थिरता और पूर्वानुमेयता सुनिश्चित करते हुए, निर्णायक निर्णय के सिद्धांत को कायम रखता है। यह अध्ययन न्यायिक मिसाल के सिद्धांत इसके विकास और कानूनी परिदृश्य पर इसके प्रभाव पर ध्यान केन्द्रित करते हुए भारतीय न्यायिक प्रणाली के जटिल कामकाज की पड़ताल करता है। न्यायालयों के पदानुक्रम, निर्णयों की बाध्यकारी प्रकृति और मिसालों की व्याख्या करने में विवेक की भूमिका की जांच करके, अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि न्याय पालिका स्थापित फैसलों का पालन करने और विकसित होते सामाजिक मानदंडों के अनुकूल होने के बीच संतुलन कैसे बनाती है। शोध न्यायिक मिसाल से जुड़ी चुनौतियों, जैसे कि परस्पर विरोधी फैसले, कठोरता की सम्भावना और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में न्यायपालिका की भूमिका पर भी प्रकाश डालता है। अंततः यह अध्ययन भारतीय न्यायिक प्रक्रिया की गतिशील और विकासशील प्रकृति तथा विधि के शासन और कानूनी सुसंगतता को बनाए रखने में न्यायिक मिसाल के महत्व पर जोर देता है।

खोज शब्द:*न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक मिसाल, निर्णय-निर्णय, भारतीय न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, कानूनी व्याख्या*

परिचय: न्यायिक प्रक्रिया कानूनी प्रणाली का एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो एक तंत्र के रूप में कार्य करती है, जिसके माध्यम से न्यायालय कानून की व्याख्या और उसे लागू करते हैं। भारत में, न्यायिक प्रक्रिया एक जटिल प्रणाली है, जो संविधान में निहित न्याय, समानता और निष्पक्षता के सिद्धान्तों में गहराई से निहित है, इस प्रक्रिया की मूलभूत विशेषताओं में से एक न्यायिक मिसाल का सिद्धान्त है, जो सामान्य कानून प्रणालियों में एक प्रमुख सिद्धान्त है। न्यायिक मिसाल, जिसे स्टेयर डेसिसिस के रूप में भी जाना जाता है, उस प्रथा को संदर्भित करता है, जहाँ अदालतें समान

तथ्यों वाले भविष्य के मामलों में पहले से तय मामलों का पालन करती है। यह कानूनी प्रणाली में स्थिरता, पूर्वानुमेयता और स्थिरता सुनिश्चित करता है, जिससे व्यक्तियों और संस्थानों को कानूनी कार्यवाही के सम्भावित परिणामों को समझने और उनका अनुमान लगाने की अनुमति मिलती है।

भारत में न्यायिक मिसाल का सिद्धान्त समय के साथ काफी विकसित हुआ है। भारतीय न्यायपालिका, विशेष रूप में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, अपने निर्णयों को निर्देशित करने के लिए पिछले निर्णयों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सभी निचली अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं, उच्च न्यायालय के फैसले उनके सम्बन्धित अधिकार क्षेत्र के भीतर बाध्यकारी होते हैं। यह पदानुक्रमिक संरचना पूरे देश में कानून के एक समान अनुप्रयोग को सुनिश्चित करती है, साथ ही बदलती सामाजिक, राजनीति और आर्थिक स्थितियों के जवाब में कानून के विकास की भी अनुमति देती है। भारत में न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह से यांत्रिक नहीं है, न ही यह मिसाल से सख्ती से बंधी है। न्यायालय कानूनों की व्याख्या करने में विवेक का प्रयोग करते हैं, खासकर उन मामलों में जहाँ पिछले फैसले त्रुटिपूर्ण, पुराने या समकालीन वास्तविकताओं के साथ असंगत पाए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी होने के नाते सर्वोच्च न्यायालय के पास कानूनी प्रणाली की गतिशील प्रकृति को दर्शाते हुए, आवश्यक होने पर अपने पहले के फैसलों को रद्द करने की शक्ति है। भारतीय संदर्भ में, न्यायिक मिसाल कानून के श्रोत और न्यायपालिका के लिए मार्गदर्शक शक्ति दोनों के रूप में कार्य करती है। यह कानूनी परिदृश्य का आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ वैधानिक कानून मौन या अस्पष्ट हो सकते हैं। भारतीय न्यायपालिका ने न्यायिक मिसाल के अपने अनुप्रयोग के माध्यम से संवैधानिक कानून, मानवाधिकार न्यायशास्त्र और सामाजिक आर्थिक न्याय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस अध्ययन का उद्देश्य भारत में न्यायिक प्रक्रिया के कामकाज का पताल लगाना है, जिसमें न्यायिक मिसाल के सिद्धांत, इसके अनुप्रयोग, चुनौतियों और कानून के शासन को बनाए रखने में इसकी भूमिका पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

मिसाल का सिद्धान्त: न्यायिक मिसाल एक कानूनी रूप से बाध्यकारी नियम या निर्णय है, जो कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दिया जाता है, जिस पर निचली अदालतें मामलों पर निर्णय लेते समय भरोसा करती है। मिसालों को कानून का एक महत्वपूर्ण श्रोत माना जाता है। कीटन न्यायिक मिसालों को ''न्यायिक निर्णयों के रूप में परिभाषित करते हैं, जिनके साथ कुछ हद तक अधिकार जुड़ा हुआ है।'' मिसालें कानूनी प्रणाली में उन अंतरालों को पूरक और पाटने का काम करती हैं, जहाँ उनकी आवश्यकता होती है, इसलिए, मिसालें एक नियम या कानून बना सकती हैं, लेकिन पहले से स्थापित कानूनों को बदल नहीं सकती हैं। चूँकि ये न्यायिक मिसालें न्यायाधीशों द्वारा दी जाती हैं, जो कानून के विशेषज्ञ होते हैं, इसलिए उन्हें आम तौर पर सही माना जाता है, और इसी आधार पर मिसालों में अधिकार का एक तत्व जुड़ा होता है। इसलिए,

मिसाल का सिद्धान्त मिसालों की आधिकारिक प्रकृति को संदर्भित करता है, जो अदालतों को उन मामलों में मिसाल लागू करने के लिए बाध्य करता है, जहाँ मामले के भौतिक तथ्य मिसाल मामले के समान हैं।

निष्कर्ष: इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलने की उम्मीद है कि न्यायिक मिसाल का सिद्धान्त भारतीय कानूनी प्रणाली के भीतर स्थिरता, स्थिरता और निष्पक्षता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि पिछले फैसलों में स्थापित कानूनी सिद्धांत भविष्य के निर्णयों का मार्गदर्शन करते हैं, जिससे कानून के आवेदन में पूर्वानुमान और एकरूपता को बढ़ावा मिलता है। हालाँकि, भारतीय न्यायपालिका, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय की गतिशील प्रकृति, मिसाल के पुराने या अन्यायपूर्ण हो जाने पर लचीलेपन की अनुमति देती है, जो कानूनी प्रणाली की बदलती सामाजिक आवश्यकताओं के अनुकूल होने की क्षमता को दर्शाता है। शोध से यह पता चलने की संभावना है कि न्यायिक मिसाल कानूनी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन यह चुनौतियों से रहित नहीं है। उच्च न्यायालयों के बीच परस्पर विरोधी निर्णय, मिसाल का पालन करने में संभावित कठोरता और सख्त कानूनी व्याख्या और सामाजिक न्याय उद्देश्यों के बीच तनाव न्यायपालिका के लिए जटिलताएँ प्रस्तुत करते हैं, फिर भी अध्ययन से यह उजागर होने की उम्मीद है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली ने परंपरा और प्रगति के बीच संतुलन बनाने के लिए मिसाल के सिद्धांत का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। संवैधानिक, मानवाधिकार और सामाजिक-आर्थि न्यायशास्त्र सहित कानून के प्रमुख क्षेत्रों को आकार दिया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. तरुणी कावुरी, (2020), "इंट्रोडक्शन तो थे इंडियन जुडिशल सिस्टम", एनिमल लॉ, पृष्ठ: 1-9.
2. तपेश मेघवाल, (2023), "लीगल डेवलपमेंट्स थ्रू जुडिशल प्रोसेस", एसएसआरएन, पृष्ठ: 1-8.
3. राम शंकर, (2020), "थे प्रोसेस ऑफ़ जुडिशल अपॉइंटमेंट्स इन इंडिया", शोधगंगा, पृष्ठ: 1-57.
4. स्पर्श अग्रवाल, (2023), "डॉक्ट्रिन ऑफ़ प्रेसिडेंट" आईप्लीडर्स, पृष्ठ: 1-7.

Disclaimer/Publisher's Note:
The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of JNGBU and/or the editor(s). JNGBU and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content.